जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 23.11.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा मारपीट/विवाद के कारण घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत कोचरी खास से इवेंट सं0 **43741** द्वारा कालर ने मारपीट/विवाद होने के कारण घायल 02 महिलाएँ (1. शालू पुत्री विनोद 2. सुधा चौहान पत्नी जितेन्द्र चौहान ग्राम कोचरी खास थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के मारपीट विवाद में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दियाए सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल महिलाओ को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगों को ईलाज हेतु सी0एच0सी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 बृजेश यादव, हो0चा0 मेजर यादव।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 171 वाहनों से 1,84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 171 वाहनों से 1,84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में 02 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रैक्टर के साथ किया गया गिरफ्तार

दिनांक 22.11.2024 को वादी श्री बुद्ध पुत्र गंगाराम निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा उनके भाई रामजनम पुत्र गंगाराम निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के दिनांक 21.11.2024 को शाम लगभग 06 बजे अतुल प्रकाश तिवारी उर्फ छोटू पुत्र परमात्मा तिवारी जो मेरे ही गांव के निवासी है। मेरे भाई रामजनम को गांव के ही चन्द्रप्रकाश तिवारी के ट्रैक्टर से यह कह कर ले गये की चलो जुताई करने जाना है ट्रैक्टर अतुल प्रकाश तिवारी ही चला रहे थे मेरा भाई रामजनम बैठ कर चला गया किन्तु वह अभी तक वापस नहीं आया हमे आशंका है की मेरे भाई रामजनम को अतुल प्रकाश तिवारी अपने अन्य सहयोगियों के साथ हत्या करके शव कही छिपा दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र देकर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 0897/2024 धारा 103(1),238(b) बीएनएस का अभियोग उपरोक्त अतुल प्रकाश तिवारी व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 01. अतुल प्रकाश तिवारी उर्फ छोटू पुत्र परमात्मा तिवारी निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. विनय प्रकाश त्रिपाठी उर्फ पंकज त्रिपाठी पुत्र परमात्मा त्रिपाठी निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को टेमा रहमत चौराहे से आगे बस्ती की तरफ जल जीवन पानी की टंकी के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अतुल प्रकाश तिवारी उर्फ छोटू पुत्र परमात्मा तिवारी निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

2. विनय प्रकाश त्रिपाठी उर्फ पंकज त्रिपाठी पुत्र परमात्मा त्रिपाठी निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपदसंतकबीर।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्तगण से पूछताछ पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को मै ट्रैक्टर को लेकर अपने गांव के ही सचिदानन्द तिवारी पुत्र महातम तिवारी का खेत जोतने शाम को जा रहा था कि मेरे गांव के पास ही सड़क पर रामजनम चौहान पुत्र स्व0 गंगाराम चौहान अपने भाई बुद्धू चौहान के साथ मिले, जिनसे मैने कहा कि चलो खेत जोतने चलना है तुम भी साथ में रहना जिस पर रामजनम चौहान मेरे ट्रैक्टर पर बैठ गया और मैं ट्रैक्टर लेकर चल दिया, रास्ते से शराब लेकर खेत मे बैठकर शराब पीने लगे, शराब के बटवारे को लेकर मुझे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मैने उसको ज्यादा शराब पिलाया, जब रामजनम काफी नशे में हो गया तब मैने कहा कि चलो ट्रैक्टर पर बैठो खेत की जुताई करते है मै ट्रैक्टर चला रहा था खेत जोतने समय मौका देखकर मैने रामजनम को ट्रैक्टर पर से धक्का दे दिया, जिससे रामजनम गिर गया और रोटावेटर से बुरी तरह कट गया तथा मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। शव को भक्कू में ऱखकर हाईवे स्थित कठिनईयां नदी के टेमा पुल से नीचे फेक दिया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री सतीश कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे , चौकी प्रभारी कांटे उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 संजय प्रसाद, का0 रामकेवल, का0 संजीत कुशवाहा, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 कृष्णा नन्द शाह, का0 संजय प्रसाद।

बरामदगी-

01 अदद ट्रैक्टर (JHON DEERE)